Panchayati Raj

उत्तराखण्ड शासन

डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव योजना

ग्राम पंचायत विकास योजना

(GPDP)

पंचायतीराज विभाग

उत्तराखण्ड

डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव योजना (ग्राम पंचायत विकास योजना-GPDP)

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 छः में पंचायतों द्वारा आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के उद्देश्य से योजनाएं तैयार करने का अधिदेश दिया गया है। इसी क्रम में 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर ग्राम पंचायतों में बढ़े हुए संसाधन हस्तान्तरण के परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक है कि पंचायतें मूलभूत सेवाएं प्रदान करने में एक जवाबदेह एवं सक्षम स्थानीय स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य क्षमता विकसित करे। ग्राम पंचायत विकास योजना में समुदाय, विशेषकर ग्राम सभा की भागीदारी एवं सक्रियता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है, ताकि सामाजिक न्याय एवं आर्थिक विकास के उद्देश्य की पूर्ति की जा सके। राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजना को **"डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव योजना"** नाम दिया है।

योजना की आवश्यकता एवं महत्व

- ✓ स्थानीय स्तर पर अनुभूत आवश्यकताओं का समावेशन
- ✓ स्थानीय क्षमताओं का बेहतर उपयोग
- ✓ स्थानीय जरूरतों व माँग के आधार पर आधारभूत स्तर से अभिसरण हेतु एक प्रचालन प्रणाली अपनाना
- ✓ पंचायत क्षेत्र के भीतर वंचित / छूट गये लोगों तक पहुँच बनाना
- ✓ विभिन्न समूहों की विविधतापूर्ण जरूरतों का ध्यान रखना
- ✓ स्थानीय विकास प्रयासों में लोगों के ज्ञान एवं उनकी बुद्धि का उपयोग करने का अवसर प्रदान करना
- ✓ नागरिकों एवं निर्वाचित प्रतिनिधियों की विकास की समझ बढ़ाना
- ✓ बढ़े हुए स्थानीय संसाधन के संघटन को सुलभ बनाना
- ✓ मितव्ययिता एवं सक्षमता को बढ़ावा देना इत्यादि।

योजना के उद्देश्य एवं अनुमन्य कार्य-

उद्देश्य-

- ✓ निर्धनता में कमी
- ✓ मानव विकास
- ✓ सामाजिक विकास
- ✓ आर्थिक विकास
- ✓ पारिस्थितिकी का विकास
- ✓ लोक सेवा की सुपुर्दगी
- ✓ सुशासन

अनुमन्य कार्य-

- ✓ जल आपूर्ति
- ✓ सीवरेज तथा ठोस अपशिष्ट निपटान / प्रबन्धन
- ✓ सेप्टेज प्रबन्धन, स्वच्छता, जल निकासी

- ✓ सामुदायिक परिसम्पत्तियों का रख–रखाव
- ✓ सड़कों, फुटपाथों, स्ट्रीटलाईट तथा कब्रिस्तानों एवं शमशान घाटों का रख–रखाव
- ✓ मनरेगा अन्तर्गत सामुदायिक अवसंरचनाएं, पंचायत घर निर्माण इत्यादि
- ✓ आजीविका हेतु परिसम्पत्ति सृजन, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबन्धन
- ✓ स्थानीय आर्थिक विकास–रोजगार एवं परिसम्पत्ति सृजन।
- ✓ आय सृजन हेतु स्थायी प्रकृति की परिसम्पत्तियों जैसे हॉट बाजार, गोदाम/भण्डार गृह का निर्माण।
- ✓ पंचायत राज अधिनियम में अनुमन्य कार्य।

ग्राम पंचायत के संसाधनों का निर्धारण

योजना के निर्धारण में संसाधनों (रिसोर्स एनवलप) की भूमिका महत्वपूर्ण है। संसाधन निम्नवत् हैं:–

- ✓ 14वाँ वित्त आयोग
- ✓ राज्य वित्त आयोग
- ✓ मनरेगा
- ✓ स्वच्छ भारत अभियान
- ✓ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
- ✓ एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्लु.एम.पी.)/जलागम
- ✓ इन्दिरा आवास योजना (IAY)
- ✓ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
- ✓ अनुसूचित जाति उप योजना/जनजाति उप योजना
- ✓ पिछड़ा क्षेत्र विकास विभाग की योजनाएं।
- ✓ मेरा गाँव मेरी सड़क योजना
- ✓ चारागाह विकास योजना
- ✓ ग्रामीण पर्यटन उत्थान योजना
- ✓ शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाएं।
- ✓ महिला एवं बाल विकास विभाग से प्राप्त निधि
- ✓ सांसद निधि
- ✓ विधायक निधि
- ✓ ग्राम पंचायत के स्वयं के राजस्व के स्रोत
- ✓ राष्ट्रीय उद्यानीकरण मिशन
- ✓ सी0एस0आर0 (कारपोरेट सामाजिक दायित्व)

उक्त के अतिरिक्त, लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा प्रस्तुत करने एवं अपने राजस्व (ओ.एस.आर.) में बढ़ोत्तरी पर ग्राम पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2019–20 तक रू. 188.28 करोड़ की धनराशि कार्य निष्पादन अनुदान के रूप में अतिरिक्त तौर पर अवमुक्त की जायेगी।

सहभागी नियोजन के लिए वातावरण निर्माण

पंचायतीराज विभाग की वातावरण निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, यथा–

- ग्राम पंचायत स्तर पर प्रभात फेरी / रैली का आयोजन, दीवार लेखन– बजट / स्लोगन,पोस्टर स्थानीय कलाकारों द्वारा नाटक / गीत / नुक्कड़ नाटक, एफ.एम. रेडियो, स्थानीय आकाशवाणी, दूरदर्शन के माध्यम से प्रचार–प्रसार।
- गणमान्य ग्रामीणों, विभिन्न ग्राम समितियों, महिला स्वयं सहायता समूह, महिला / युवक मंगल दल, समुदाय आधारित संगठन, व्यावसायिक समूह, स्थानीय संगठन, ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्य व ग्राम स्तरीय कार्मिकों के साथ बैठक, महत्वपूर्ण संस्थाओं यथा पंचायत घर, विद्यालय, आँगनबाड़ी केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्र का भ्रमण।

क्षमता विकास एवं प्रशिक्षण

ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण हेतु विभिन्न स्तरों पर क्षमता विकास एवं प्रशिक्षणों का आयोजन किया जा रहा है, यथा–

- राज्य स्तर पर कार्यशाला का आयोजन।
- जनपद स्तर पर जिला स्तरीय रेखीय विभागों के अधिकारी, जिला अनुश्रवण समिति एवं ब्लॉक स्तरीय समन्वय समिति के सदस्य, मनरेगा अन्तर्गत कार्यरत परियोजना अधिकारी, अपर परियोजना अधिकारी, अवर अभियन्ता, लगभग 3 राजकीय अधिकारी प्रति विकास खण्ड, लगभग 3 प्रतिनिधि गैर सरकारी संगठन प्रति विकास खण्ड, के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन।
- ग्राम पंचायत स्तरीय तकनीकी सहायता समूह हेतु क्लस्टरवार तीन दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन, जिसमें प्रधान, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, मनरेगा के रोजगार सहायक, बी.पी.टी., आँगनबाड़ी कार्यकत्री, आशा कार्यकत्री, पटवारी, युवक–महिला मंगल दल के सदस्य, कृषक समूह युवा व महिला समूह, स्वयं सहायता समूह के सदस्य सम्मिलित होंगे।

स्थिति विश्लेषण (Situation Analysis)

सर्वप्रथम ग्राम पंचायत को अपने क्षेत्राधिकार अन्तर्गत विश्लेषण करना होगा, यथा–

- ढाँचा या आधारभूत अवस्थापना सुविधाएं–सड़के, रास्ते, पंचायत भवन
- नागरिक सुविधायें–पेयजल, स्वच्छता, तरल एवं ठोस कचरे का प्रबन्ध, गलियों की रोशनी, खेल के मैदान, शमशान घाट / कब्रिस्तान
- मानव विकास–आँगनबाड़ी, पुस्तकालय, प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र / आशा कार्यकत्री
- आर्थिक विकास और आजीविका–कृषि, स्थानीय उत्पादन, ग्रामीण हाट
- सामाजिक विकास–एस.सी. / एस.टी., शिशु, महिला, वरिष्ठ नागरिक, अक्षम व्यक्ति, आर्थिक / सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग
- प्राकृतिक संसाधन–जल, जंगल, जमीन, लघु संपदा।

इसके लिए सांसद आदर्श ग्राम योजना में प्रयुक्त बेसलाईन सर्वे प्रपत्र आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर प्रयोग में लाये जायेंगे एवं ग्राम पंचायत की रूपरेखा (प्रोफाईल) तथा मौजूदा स्थिति, समस्याओं का विश्लेषण किया जायेगा।

उपरोक्त आधारों पर ग्राम सभा स्वयं परिकल्पना तथा आवश्यकताओं का आंकलन करने में सक्षम हो सकेगी।